उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2

संख्या- 11/2015/वे0आ0-2-227/दस-2015

लखनऊ: दिनांक : 23 मार्च, 2015

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

उत्तर प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ की मॉगों पर विचार-विमर्श हेतु दिनांक 12 फरवरी, 2015 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आहूत बैठक जिसका कार्यवृत्त (प्रति संलग्न) कार्मिक अनुभाग-4 के अशासकीय पत्र संख्या-8ई0एम0/2000-का-4-2015, दिनांक 24 फरवरी, 2015 द्वारा निर्गत किया गया है, में कतिपय बिन्दुओं पर प्रमुख सचिव, वित्त विभाग की अध्यक्षता में समिति गठित कर विचार करने के निर्देश दिये गए हैं। उक्त बिन्दुओं पर विचार कर संस्तुति दिये जाने हेतु प्रमुख सचिव, वित्त विभाग की अध्यक्षता में समिति का निम्नवत गठन किया जाता है :--

1 प्रमुख सचिव, वित्त विभाग	अध्यक्ष
2 प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग स्वयं अथवा उनके द्वारा नामित विशेष सचिव से अनिम्न स्तर के अधिकारी	सदस्य
3 प्रमुख सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग स्वयं अथवा उनके द्वारा नामित विशेष सचिव से अनिम्न स्तर के अधिकारी	सदस्य

<u>संलग्नक -</u> यथोपरि।

अजय अग्रवाल

सचिव।

<u>संख्या-11/2015/वे0आ0-2-227(1)/दस-2015, तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:---

(1) निजी सचिव, प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।

(2) निजी सचिव, प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उ0प्र0 शासन।

(3) निजी सचिव, प्रमुख सचिव, लघु सिंचाई विभाग, उ0प्र0 शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) निजी सचिव, प्रमुख सचिव, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 शासन।

(5) निजी सचिव, प्रमुख सचिव, आवास विभाग, उ0प्र0 शासन।

(6) निजी सचिव, सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।

आज्ञा से,

मनोज कुमार जोशी
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।